प्रेषक,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
अनुदान सं0–81 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक 251500796010120

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी
सहारनपुर, आगरा, हाथरस, पीलीभीत, रामपुर, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर–खीरी, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, इलाहाबाद, मिर्जापुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सन्तकबीर नगर, आजमगढ़, मऊ, कानपुर नगर तथा कानपुर देहात।

संख्याः 1/शा0/51/2013–1/223/2013 ,लखनऊः दिनॉक 21 नवम्बर, 2013

विषयः निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 के लिए टी0एस0पी0 (अनुसूचित जनजातियों) के लिए अनुदान–81 के अन्तर्गत राज्यांश मद में रू0–698195/– की धनराशि का आवंटन

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–635/26–ब0प्र0–2013–100(19)/2012 ,दिनॉक 11–11–2013 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–81 के उपर्युक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0–22.50 लाख में से राज्यांश मद में **रू0–698195/– (रूपया छः लाख अठ्ठान्नवे हजार एक सौ पंचान्नवे मात्र)** जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार उल्लिखित जनपदों के नाम के सम्मुख कालम संख्या–3 में अंकित धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) के अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप सं0–बी0–1–640/दस–2013–231/2013 दिनांक 28.03.2013 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि/जनपदवार आवंटित केंद्राश/परिव्यय प्राप्त होने के उपरान्त ही आहरित किया जायेगा तथा धनराशि को निर्धारित शर्तो, प्रतिबन्धों/नियमानुसार ही व्यय किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

3– उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन(एलाटमेंन्ट)मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्सीयल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

4– प्रश्नगत धनराशि एस0टी0पी0 राज्यांश के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिस सीमा तक अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों हेतु टी0एस0पी0 राज्यांश अनुमन्य होगा। केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर ही राज्यांश का आहरण/व्यय किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए किया जायेगा।

5– इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशो में दिये गये दिशा–निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनाएं परीक्षण/सत्यापन हेतु निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।

6– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देश के अनुसार किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के कियान्वयन हेतु समय–समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा।

7– जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बिल जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित/अनुमति प्राप्त करके धनराशि का आहरण किया जायेगा।

8— उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—14 के अनुदान संख्या—81 के लेखाशीर्षक "2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—आयोजनागत—796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—0101—ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु अनुदान (जिला योजना)—भारत सरकार की सहायता राज्यांश—20—सहायता अनुदान—सामान्य (गैर वेतन) के नामें डाला जायगा।

9— शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0—सीए—934/दस—2008—मित—1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रुप से पालन किया जायेगा।

10— किसी प्रकार के वित्तीय अनियमितताओं के लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगतरूप से जिम्मेदार होगें। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा धनराशि का आहरण की तिथि, बाउचर संख्या आहरित धनराशि की सूचना निर्धारित रूपपत्र बी0एम0—4 पर निदेशालय को प्रत्येक माह 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

11— आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरण की फेजिंग इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी कि सामान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि एकमुश्त आहरित नही की जाएगी।

12— उक्त धनराशि का व्यय उक्त योजना के कियान्वयन हेतु समय—'समय पर निर्गत विस्तृत मार्ग निर्देशों के अनुरुप किया जायेगा

13— धनराशि का पूर्ण उपभोग हो जाने पर उपभोग प्रमाण—पत्र निर्धारित रूपपत्र पर महालेखाकार,उ0प्र0 इलाहाबाद तथा निदेशालय को अवश्य उपलब्ध कराया जायगा।

14— प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—23 पर अंकित है।

संलग्न—उक्तवत्।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायती राज,उ0प्र0।

संख्याः—1/शा0/51/1/2013, तददिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार,लेखा आडिट (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2— उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश, सत्यनिष्ठा भवन, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, इलाहाबाद।
3— प्रमुख सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन।
4— विशेष सचिव, वित्त ((व्यय—नियंत्रण) अनु0—3/वित्त बजट अनु0—2 उ0प्र0 शासन।
5— विशेष सचिव, समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
6— संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7— संबंधित वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8— उपनिदेशक (पं0), पचायती राज निदेशालय, उ0प्र0।
9— संबंधित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
10— तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(शहजाद अहमद अन्सारी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-21/11/2013

प्रेषण संख्या:- 1-sha-51-2013-1-223-2013

आवंटन आदेश संख्या:- 001-223-2013

अनुदान संख्या:- 81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनागत-मतदेय)

796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

01 - ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु अनुदान

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2590 2590	2590 2590
2	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3560 3560	3560 3560
3	पीलीभीत-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4915 4915	4915 4915
4	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2390 2390	2390 2390
5	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2560 2560	2560 2560
6	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	15960 15960	15960 15960
7	मिर्ज़ापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	12803 12803	12803 12803
8	आजमगढ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3600 3600	3600 3600
9	देवरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3560 3560	3560 3560
10	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4330 4330	4330 4330
11	सीतापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1598 1598	1598 1598

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
12	लखीमपुर खीरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3690 3690	3690 3690
13	बहराइच-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	75830 75830	75830 75830
14	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2560 2560	2560 2560
15	मऊ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2580 2580	2580 2580
16	महाराजगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	6620 6620	6620 6620
17	कुशीनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3560 3560	3560 3560
18	हाथरस-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	449000 449000	449000 449000
19	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	91390 91390	91390 91390
20	संत कबीर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3530 3530	3530 3530
21	श्रावस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	1569 1569	1569 1569
	योग	वर्तमान प्रगामी	698195 698195	698195 698195

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः लाख अठानबे हजार एक सौ पंचानवे

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया छः लाख अठानबे हजार एक सौ पंचानवे

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
शहजाद अहमद अंसारी